न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
धनवन्ती बनाम सुरेश देवी
मु.नं.– 49/24 किस्म – गं.रि.</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26.8.25 को पेश हो। [signature]

26.8.25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/8/25 को पेश हो। [signature]

28/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण का प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर के साथ नत्थी हो। [signature]
उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)</td><td></td></tr>
</table>

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
49/2024	24.07.2024	28.08.2025

बउनवान

1. धनमन्ती पत्नी श्री अंगदराम मीना (शहीद), निवासी बडाबास (भूडामोड) के पास, मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. सरोज पुत्री श्री अंगदराम मीना (शहीद) पत्नी मुनेश चन्द मीना, निवासी बडाबास, (भूडामोड) के पास, मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा, हाल निवासी बरैर, जिला अलवर।
3. सविता मीणा पुत्री श्री अंगदराम मीना (शहीद), निवासी बडाबास, (भूडामोड) के पास, मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
4. अंजू मीना पुत्री श्री अंगद राम मीना (शहीद), निवासी बडाबास, (भूडामोड) के पास, मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
5. कमलेश मीना पुत्री श्री अंगद राम मीना (शहीद), 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती माता धनमन्ती देवी पत्नी श्री अंगदराम मीना (शहीद), निवासी बडाबास, (भूडामोड) के पास, मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।

..सायलान

बनाम

1. बुद्धी देवी पत्नी कल्याण सहाय, निवासी बडाबास (भूडामोड) के पास, मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. प्यारी देवी पुत्री कल्याण सहाय पत्नी हीरालाल, निवासी बडाबास (भूडामोड) के पास, मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा, हाल निवासी रसूलपुर, तहसील लक्ष्मणगढ, अलवर।
3. मलूकी पुत्री कल्याण सहाय पत्नी काडया, निवासी हिरनोटी, तहसील रैणी, जिला अलवर।
4. चन्द्रभान पुत्र श्री कल्याण सहाय, निवासी बडाबास (भूडामोड) के पास, मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. उप–पन्जीयक मण्डावर।

..गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक सायलान – श्री भुवनेश त्रिवेदी।
2. अभिभाषक गैरसायल सं. 1 लगायत 4 – श्री प्रीतम चन्द सैनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय

1. सायलान की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया सं. 1 अमर शहीद अंगदराम की धर्मपत्नी है एवं सायलान सं. 2 लगायत 5 अमर शहीद की पुत्रियां है। सायलान सं. 1 के पति अंगदराम की मृत्यु 2019 मे हुई थी। सायलान के घर में कोई पुरुष नहीं है, केवल महिलाएं है क्योंकि अंगदराम एवं सायलान सं. 1 के संसर्ग से सायलान सं. 2 लगायत 5 पुत्रियॉं का जन्म हुआ था। पुत्र का जन्म नहीं हुआ था। इसी का लाभ उठाकर गैरसायलान सायलान को परेशान कर रहे है, उनकी भूमि से उन्हें बेदखल करना चाहते हैं व भूमि को हडपना चाहते हैं। विवादित आराजीयात सायलान के कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि खाता सं. 167 के खसरा सं. 1254 रकबा 0.25 हैक्टे. एवं खाता सं. 168 के खसरा सं. 1153/1858 रकबा 0.33 हैक्टे., 1202 रकबा 0.38 हैक्टे., 1250 रकबा 0.24 हैक्टे., 1256 रकवा 0.25 हैक्टे., कुल किता 04, कुल रकबा 1.20 हैक्टे. एवं खाता सं. 522 के खसरा सं. 1274 रकबा 0.18 हैक्टे., 1276 रकबा 0.38 हैक्टे., 1278 रकबा 0.15 हैक्टे. 1281 रकबा 0.25 हैक्टे., 1282 रकबा 0.04 हैक्टे., 1283 रकबा 0.63 हैक्टे., कुल किता 6, कुल रकबा 1.63 हैक्टे., खाता संख्या 588 के खसरा सं. 1253 रकबा 0.16 हैक्टे. कुल किता 1, कुल रकबा 0.16 हैक्टे. वाके ग्राम मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा अनुसार जमाबंदी संवत 2072–2075 में स्थित है। सायलान के परिवार का सजरा निम्नानुसार है।

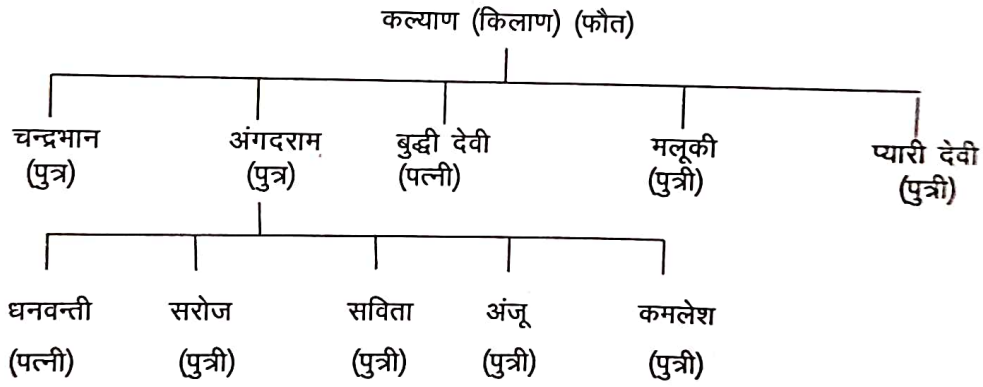

विवादित आराजीयात खाता सं. 167 में सायलान का हिस्सा प्रत्येक का 2/75 है, चन्द्रमान का हिस्सा 2/15, फूलबाई पुत्री रुगनाथ का हिस्सा 1/9, हरबाई पुत्री रुगनाथ का हिस्सा 1/9, बुद्धी देवी पत्नि स्व. कल्याण का हिस्सा 2/15, मलूकी पुत्री कल्याण का हिस्सा 2/15, रामेश्वर पुत्र रुगनाथ का हिस्सा 1/9, प्यारी देवी का 2/15 है। इसी प्रकार खाता सं. 168 में सायलान का हिस्सा प्रत्येक का 1/25 एवं चन्द्रमान का हिस्सा 1/5, बुद्धी देवी पत्नि स्व. कल्याण का हिस्सा 1/5, मलूकी पुत्री कल्याण का हिस्सा 1/5, प्यारी देवी का हिस्सा 1/5 एवं खाता सं. 522 में सायलान के मृतक पिता का हिस्सा 1/35 है, चन्द्रभान का हिस्सा 1/35, प्यारी देवी का हिस्सा 1/35, बुद्धी देवी का हिस्सा 1/35, मलूकी का हिस्सा 1/35, रामकिशोर पुत्र विशन्या का हिस्सा 6/7 है एवं खाता संख्या 588 में सायलान का प्रत्येक का हिस्सा 1/50, चन्द्रभान का हिस्सा 1/10, फूलबाई का हिस्सा 1/10, प्यारी देवी का हिस्सा 1/10, फूलबाई का हिस्सा 1/12, बुद्धी देवी का हिस्सा 1/10, मलूकी देवी का हिस्सा 1/10 है। सभी सायलान एवं गैरसायलान अपने–अपने हिस्सा पर काबिज काश्त

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

करते व राज लगान अदा करते चले आ रहे हैं। सायलान का मौके पर पैतृक भूमि व विवादित भूमि में कल्याण के हिस्से में 1/2 हिस्सा है अर्थात कल्याण के हिस्से में आई भूमि मे से सायला नंबर 1 मौके पर 1/2 भूमि पर कब्जा है परन्तु अब गैरसायला मलूकी, बुद्धी, प्यारी अपने हिस्से की भूमि को गैरसायल चन्द्रमान को हकत्याग कराने को आमादा है। गुप्त तरीके से हक त्याग करना चाहते हैं, हक त्याग करा भी दिया हो जबकि कानूनन मलूकी, बुद्धी, प्यारी को हक त्याग करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अनुसूचित जन जाति की रूढि एवं नियमो के अनुसार अनूसूचित जन जाति की महिला को जमीन में हिस्सा नहीं मिलता है इसलिये प्यारी, मलूकी, बुद्धी को मिली भूमि उनको कानूनन नहीं मिल सकती है क्योंकि अनूसूचित जन जाति में महिलाओ को भूमि में अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसलिये प्यारी देवी, बुद्धी देवी, मलूकी को विवादित भूमि कानूनन नहीं मिल सकती है, ना ही भूमि का विक्रय व दान हक त्याग किया जा सकता है। हम सायलान ने प्यारी, बुद्धी, मलूकी का पूरा मान सम्मान गैरसायलान का किया है फिर भी वे भूमि को चन्द्रभान को देना चाहती है जबकि प्यारी, बुद्धी, मलूकी के नाम भूमि कानूनन नहीं आ सकती है क्योंकि जब परिवार में पुरुष सन्तान है तो अनूसूचित जनजाति की महिला को भूमि नहीं मिल सकती है। पिता की पैतृक भूमि अनूसूचित जनजाति की महिला को नहीं मिल सकती। इसी प्रकार अनूसूचित जन जाति की महिला को उसके पति की भूमि नहीं मिल सकती, केवल पुरुषों को मिल सकती है। ये अनूसूचित जन जाति की सैटल्ड विधि है। इसलिये विवादित भूमि प्यारी, बुद्धी, मलूकी को गलत मिली है। इनके द्वारा दिनांक 19.07.2024 को कराया हकत्याग विधि के प्रतिकूल, नियमों के विपरीत है। दिनांक 19.07.2024 को हमने उप–पंजीयक मण्डावर कार्यालय में उप–पंजीयक से हक त्याग पंजीबद्ध करने को मना किया एवं प्यारी बुद्धी, मलूकी को हकत्याग चन्द्रमान के हक में कराने के लिये मना किया तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि भूमि हमारे नाम हो गयी है, इसलिये हम हकत्याग करायेगें। चन्द्रमान ने कहा कि कल्याण की जमीन अब आधी आधी नहीं रखेगे, प्यारी, बुद्धी, मलूकी के हिस्से पर हम कब्जा करेगें हमारे नाम हकत्याग हो गया है। तुम्हें तुम्हारे कब्जे की भूमि से बेदखल करेगें। वाद हेतुक दिनांक 19.07.2024 को मण्डावर में उत्पन्न होने से अदालत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी आया है। सायलान खातेदार काश्तकार होने से, जमीन पर कब्जा होने से प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का सन्तुलन भी सायलान पक्ष में बखूबी साबित है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में गलत एन्ट्री एवं उसके आधार पर हुये हकत्याग का नामान्तकरण खुल गया तो गैरसायल महिला सायलाओं को विवादित भूमि से बेदखल कर देगें जिससे सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी प्रकार संभव नहीं हो पायेगी। अतः निवेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि वे प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में वर्णित विवादित भूमि को जोतने, बोने, खातेदारी अधिकारों के उपयोग में व उपभोग में व्यवधान न तो स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावे। विवादित भूमि का हकत्याग, दान, रहन, बेचान नहीं करें। उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, सायलान को बेदखल नहीं करें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. सायलान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

किया। सायलान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। सायलान का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 24.07.2024 को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1254, 1153/1858, 1202, 1250, 1256, 1274, 1276, 1278, 1281, 1282, 1283, 1253 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. गैरसायलान को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, गैरसायल सं. 5 व 6 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

4. गैरसायल सं. 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात सिर्फ सायला सं. 1 का मृतक अंगद की पत्नि होना व 2 लगायत 5 का मृतक अंगद राम मीना की पुत्रियां होने की हद तक स्वीकार है, शेष बातें गलत होने से अस्वीकार है। गैरसायलान शान्तिप्रिय कामकाजी महिला है जो अपने परिवार के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। गैरसायलान द्वारा सायलान को आ दिन तक किसी भी प्रकार से हैरान परेशान नहीं किया गया है जबकि सही बात यह है कि गैरसायल सं. 2 व 3 सायला सं. 1 की ननद है जो कि अपनी ससुराल में रहती है। सायला सं. 1 अपने पति की मृत्यु के पश्चात ना तो गैरसायलान सं. 2 व 3 से बातचीत करती है एवं ना ही कभी उन्हें बुलाती है एवं न ही उन्हें भात जामने ही देती है। इसलिये सायला गैरसायलान पर झूठे इल्जाम लगा रही है। उक्त भूमि केवल सायलान के कब्जे काश्त की न होकर सायलान एवं गैरसायल सं. 1 लगायत 4 की सहखातेदारी की कृषि भूमि है एवं परिवार का सजरा सही है, स्वीकार है। सायलान का यह कहना गलत है कि मौके पर पैतृक भूमि व विवादित भूमि मे कल्याण के हिस्से में आई भूमि में से सायला नंबर 1 मौके पर 1/2 भूमि पर कब्जा हो, बल्कि सही बात यह है कि सायलान नंबर 1 का मुताबिक हाल जमाबन्दी में मौके पर हिस्सा माँ एवं अन्य सभी खातेदारान भी अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं व सायला नं. 1 का यह कहना भी गलत है कि प्यारी, मलूकी व बुद्धि देवी अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग गैरसायल चन्द्रभान के पक्ष में करने पर आमादा हो। बल्कि सही बात यह है कि गैरसायलान प्यारी, मलूकी द्वारा दिनांक 19.07.2024 को एक हकत्याग पत्र गैरसायल चन्द्रभान के पक्ष में तहसील कार्यालय मण्डावर मे तस्दीक करवा दिया है जिसके 05 दिन पश्चात दिनांक 22.07.2024 को सायलान द्वारा झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं सायलान का यह कहना भी गलत है कि अनूसूचित जनजाति की महिला को जमीन में हिस्सा नहीं मिलता है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब सायलान स्वयं महिला है और अपने पति के पिता जी खातेदारी भूमि में अपना हिस्सा मानती है तो फिर गैरसायल सं. 1 व 2 को अपने पिता की खातेदारी भूमि में हिस्सा क्यों नहीं मिल सकता है। सायला नं. 1 अपने पति की मृत्यु के पश्चात गैरसायल नं. 1 लगायत 3 से ना तो कभी बातचीत करती एव ना ही कभी वार त्यौहार उन्हें बुलाती है एव ना ही उन्हें भात जामने देती है। गैरसायला नं. 1 लगायत 3 को गैरसायल नम्बर 4 ही मानता है, समय पर बुलाता है एवं भात जामने भी देता है। इसलिये गैरसायल ने अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग दिनांक 19.07.2014 को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उप–पंजीयक कार्यालय मण्डावर में गैरसायल सं. 4 के पक्ष में कर दिया है। सायलान लट्ठ के बल पर व उक्त मुकदमें की आड में गैरसायल नं. 1 लगायत 2 द्वारा किये गये हकत्याग के नामान्तकरण रूकवाना चाहती है जबकि विधि का यह सुस्थापित नियम है कि कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी की भूमि को किसी भी व्यक्ति को रहन, बेचान, दानपत्र, हकत्याग इत्यादि कर सकता है एवं सायला का कल्याण की खातेदारी की 1/2 भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन भी सायला की बजाय गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है क्योंकि यदि भूमि के खातेदार काश्तकारों को पाबन्द कर दिया गया तो गैरसायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। गैरसायल नम्बर 1 लगायत 3 उक्त भूमि में खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार को उसकी भूमि को रहन, बेचान आदि करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होने हैं। सायला का यह कहना गलत है कि गैरसायलान हम महिलाओं सायलान की भूमि से बेदखल कर देगी बल्कि सही बात यह है कि सायलान मुताबिक हाल जमाबन्दी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है लेकिन सायलान उक्त मुकदमें की आड में 1/2 भूमि पर कब्जा करना चाहती है। इसलिये झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायल नंबर 1 लगायत 4 की ओर से जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार, विवादित आराजीयात के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण का नाम, उनके पति/पिता अंगद राम की मृत्यु के उपरान्त विरासत के नामान्तरकरण के द्वारा जमाबंदी में दर्ज हुआ। प्रार्थीगण को स्वयं को विवादित भूमि में उक्त खातेदारी अधिकार अनुसूचित जाति की महिला होने के बाद भी प्राप्त हुये हैं। इसलिए प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थी प्यारी, बुद्धि तथा मलूकी को अनुसूचित जाति की महिला होने के कारण विवादित भूमि में कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, उचित नहीं है। इसलिये अप्रार्थीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी रखने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के उपयोग पर विपरीत प्रभाव होगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी के द्वारा वाद पत्र में वर्णित अन्य कथन वाद में साक्ष्य उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्धारित किये जा सकेंगे। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस स्तर पर इस प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं। इसलिये अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा को जारी रखा जाना उचित नहीं है।

आदेश

7. सायलान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डावर, पटवार हल्का मण्डावर, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1254, 1153/1858, 1202, 1250, 1256, 1274, 1276, 1278, 1281, 1282, 1283, 1253 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2024 को जारी की गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)